BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 19 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी के 02 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त वसीम पुत्र अतीक निवासी टाडा बादली थाना टाडा जनपद रामपुर व टिन्नू पुत्र लाल खां निवासी ग्राम अन्नी थाना बरला जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2013 में थाना नरौरा क्षेत्रान्तर्गत गाड़ी में गौवंशों को क्रुरता पूर्वक भरकर ले जाते समय पकड़े जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.12.2013 को थाना नरौरा पर मुअसं – 187/13 धारा- 3/5(क)/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.12.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वसीम व टिन्नू को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर